स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 2479

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक- 14.05.2025

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

3. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति)
1	संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	5,00,000/-	संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली का पत्रांक-56, दिनांक-14.04.2025

4. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
6. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाएँ ।
8. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
9. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।

10. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

11. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

09/05/25

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 2479 पटना, दिनांक- 14.05.2025

प्रतिलिपिः- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि वे आवंटित किये गये राशि के विरूद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

09/05/25

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,

बिहार, पटना।